राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, 10–अशोक मार्ग, लखनऊ –226001

फोन–0522-2286709, फैक्स–0522-2286711

वेबसाइट : www.sudaup.org, ई–मेल : pmusuda@gmail.com

पत्रांक : 576 /04/7/रि.यो./2014–15–II दिनांक : 18.05.2015

अति आवश्यक सूचना

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निजी स्वामित्व रिक्शा चालकों को निःशुल्क मोटर/बैटरी चालित रिक्शा प्रदान किए जाने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना संचालित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदेश के समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय तथा सम्बन्धित नगर निकाय कार्यालय पर उपलब्ध है। योजनान्तर्गत आवेदक की पात्रता हेतु प्रमुख मानक निम्नवत निर्धारित हैं:-

1. निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालक ही योजना हेतु पात्र होंगे।
2. ऐसे रिक्शा चालक को सम्बन्धित जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में सुनिश्चित तिथि कट-आफ-डेट 30.11.2014 तक औपचारिक रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. आवेदक को प्रदेश के सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र का मूल रूप से निवासी होना वांछनीय है।

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार जिन पात्र व्यक्तियों ने आवेदन किया था उनके सत्यापनोपरान्त पात्र लाभार्थियों की सूची डूडा में बना ली गयी है जो वहाँ अवलोकनार्थ उपलब्ध है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें एक अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। आवेदक दिनांक **29.05.2015** तक निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जनपदीय डूडा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप सम्बन्धित डूडा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं/सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर भी फार्म उपलब्ध है।

निदेशक, सूडा

आवेदन संख्या–

रिक्शा चालक योजना के अन्तर्गत रिक्शा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीन फोटोग्राफ

(क) 1. आवेदक का नाम --

2. पिता / पति का नाम --

3. जन्म तिथि / आयु --

4. जाति --

(सामान्य / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)

5. मानव चालित रिक्शा की पंजीकरण संख्या ------------------------

6. पता --

(ख) पहचान का सबूत--

(वोटर कार्ड / बी0पी0एल0 राशन कार्ड / नगरीय निकाय की रिक्शा चालक का पंजीयन प्रपत्र व उसका कमांक / डाकघर द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र / वाहन चालक लाइसेन्स)

(ग) उपरोक्त दी गयी सूचना सही है इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। रिक्शा ऑवटन की सभी निर्धारित शर्ते मुझे मान्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

कार्यालय के प्रयोग हेतु।

1. आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि --
2. आवेदन संख्या--
3. आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता का नाम --
4. आवेदन पत्र को कम्प्यूटर में फीड करने की तिथि --

(आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

आवेदन पत्र प्राप्त होने की रसीद

श्री / श्रीमती / कु0 --

पिता / पति --

निवासी --

का आवेदन पत्र सं0------जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय में दिनांक------------------

को प्राप्त किया गया।

(आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

आवेदक का
नवीनतम फोटो

मोटर/बैटरी चालित रिक्शा योजना
लाभार्थी घोषणा–पत्र का प्रारूप

प्रार्थी/प्रार्थिनी ....पुत्र/पति ....निवासी ....
जनपद...................................... उम्र............... सत्य रूप से यह घोषणा करता/करती है कि उ0प्र0 सरकार से ''वह निःशुल्क प्राप्त किए मोटर/बैटरी चालित रिक्शे का संचालन अपने व अपने परिवारजन के भरण–पोषण के निमित्त स्वरोजगार हेतु प्रत्येक दशा में स्वयं ही करेगा/करेगी। इस रिक्शे को न तो किराए पर चलवाएगा/चलवाएगी और न ही किसी अन्य को विक्रय करेगा/करेगी। यदि लाभार्थी/लाभार्थिनी उक्त घोषणा का उल्लंघन करेगा/करेगी तो उसका रिक्शा राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाये। योजना का दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में लाभार्थी/लाभार्थिनी उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा/होगी। ''इस घोषणा–पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थिनी रिक्शा चालक का नवीनतम फोटो चस्पा कर दिया गया है।

आवेदक/घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान